संयुक्त राष्ट्रसहकाराता प्रतिपादित मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र
मानव अधिकारक सार्वभौम घोषणा

प्रस्तावना

किएक तें मानव परिवारक सभ सदस्यकें जन्मजात गौरव आ समान तथा अविचिन्न अधिकारक स्वीकृतिये विश्व शाल्ति, न्याय एवं स्वतन्त्र आधार धिक।

किएक तें मानवक अधिकार प्रति उपेक्षा आ घृणाक चलतें एहन बर्बर काज भेल, जइसं मनुष्यपर अत्याचार कएल गेल।

किएक तें एकटा एहन विश्व-वैवस्था भेल जाईकें स्थापनासें (जइमें लोककें भाषण आ धर्मक आजादी तथा डर आ अभावसं मुक्ती भेंटते) सबहक लेल सभसं नमहर इच्छा घोषणा कएल गेल अछि।

किएक तें अगर अन्यायुक्त शासन आ जुलुमक विरोधमें लोककें विद्रोह करबाक हेतु-ओकेरे अन्तिम उपाए बुभीक मजबूर नेभकं जेबाक अछि, तेएँ कानूनद्वारा निम्न वना मानवक अधिकारक रक्षा केनाइ जरूरी अछि।

किएक तें संयुक्त राष्ट्रक सदस्य-देश सबहक जन-गण लोककें बुनियादी मानव-अधिकारसें, मानव व्यक्तीत्वकें गौरव आ
योग्यतामें एवं नर-नारीक समान अधिकारमें अपन विश्वासकें अधिकार पत्रमें दोहरलक अखी आई निश्चित केलक अखी जे अधिक व्यापक स्वतन्त्रताक अधिन सामाजिक सत्तातेब जीवनकें बेहतर स्तरकें ऊँच केल जाए।

किएक तेल सदस्य-देश ई प्रतिज्ञा केलक जे ओं संयुक्त राष्ट्रक सहयोगसें मानव अधिकार आ बुनियादी आजादीक लेल सार्वभौम सम्मानक वृद्धि करताह।

किएक तेल ओई प्रतिज्ञाकें सोलहनी लागू करवाक लेल अई अधिकार एवं आजादीक स्वरूप ठीक-ठीक बुभनाइ संग्रहसें बेसी खगता अखी। अई दुरारे, आब, सामान्य सभा घोषित करैत अखी की-मानव अधिकारक ई सार्वभौम घोषणा सभ देश आ सभ लोकक समान सफलता थिक।

एकर उदेश्य ई अखी जे प्रत्येक व्यक्ती एवं समाजक प्रत्येक भाग ई घोषणाकें लगातार नजरमें रखैत अध्यायन आ शिकार द्वारा ई कोशिश करये जे ई अधिकार एवं आजादीक त्रि सम्मानक भावना जगबए एवं जगबैत रहणे, उत्तरेत्तर एलेन राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय उपाए केल जाए जईसं सदस्य-देश सबहक जनता एवं ओकरा द्वारा अधिकृत प्रदेशक जनता अई अधिकारक सार्वभौम आर प्रभावोत्पादक स्वीकृति दक ओकर पालन करबाथ।

 Amendt International Nepal
धारा १:
सभ व्यक्तीको गौरव आ अधिकारक मामलामा जन्मजात स्वतंत्रता एवं सामानता प्राप्त छौँह। हुनक बुद्धी और अन्तरात्माक देन प्राप्त छौँह तथा परस्पर हुनका भाइचाराक भावसँ वर्ताव फर्काक चाहियन।
धारा २:

सभकै अई घोषणामें सन्निहित सभटा अधिकार आर
आजादीकै पएबाक हक छै, अई मामिलामें जाति, वर्ण,
लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति आर आन विचार-प्रणाली
अथवा कोनो प्रकारक आन मर्यादिक कारण
भेद-भावक विचार नै केल जाएत।

अईकै बाहेकै, कोनो देश या प्रदेश स्वतंत्र, संरक्षित वा
स्वशासन रहित हुआए, आर परिमित प्रभुसत्ताबाबा
हुआए, ओई देशक/प्रदेशक राजनैतिक क्षेत्रीय आर
अन्तराष्ट्रिय स्थितीके आधारपर ओटुक्का नागरिक
लेल कोनो अन्तर नै राखल जाए।
धारा ३:
हरेक व्यक्तीको जीवनमा, स्वधीनता आर व्यक्तिगत सुरक्षाक अधिकार छैन।
धारा ४ :
किनको गुलामी आर दासताक हालतमे नै राखल जाएत । गुलामी प्रथा आ गुलामक बेपार सभ्य तरहसँ निषिद्ध हाएत ।
धारा ५:
किनको शारीरिक यातना नै देल जाएत आ नई किनको प्रति निर्दय, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यक्तित्व हाएत।
धारा ६:
हरेक व्यक्ति हरेक ठाम कानूनक नजरमे व्यक्तीको रूपमे स्वीकृति पएबाक अधिकार अछि।
धारा ७:
कानूनक नजरमे सभ बरोबरी छैि आ सभ गोटे बिना कोनो भेद-भावक समान कानूनी सुरक्षाक अधिकारी सेहो छैि। जो आई धोषणाङकं अतिक्रमण कारे ता कोनो भेद-भाव करत अथवा ओहन तरहक भेद-भावकं कोनो तरहेउसकाउँ, ताँ ओको विरुद्ध समान संरक्षणक अधिकार सभकं प्राप्त अिैँ।
धारा ५:
प्रत्येक व्यक्तिकें संविधान आर कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारक अतिक्रमण कराउँनलाई कार्यक विरुद्ध यथोचित राष्ट्रिय अदालतक उचित एवं कार्यक सहायता प्राप्त हुक अधिक।
धारा 9:
किनको मनमानीसँग गिरफ्तार, नजरबन्द आर देश-निष्कृष्ट नै केल जाएत।
धारा १०:
सभकै पूर्णत: समान रूपसँ हक अछौ जेकोकर
अधिकार एवं कर्तव्यकै निष्क्रय करबाक मामिलामे
हुनकाइ आरोपित फौजदारीक कोनो मामिलामे
अहाँक सुनवाइ न्यायोचित आर सार्वजनिक रूपसँ
निरपेक्ष एवं निरशप्त अदालतद्वारा हुआै ।
धारा ९१ :

१. प्रत्येक व्यक्ति, जेरापर दण्डनीय अपराधक आरोप लागल हुआ, तब तक निर्देश मानल जाएत, जब तक ओकरा खुला अदालतमें, अपन सफाइके सभ आवश्यक सुविधा प्राप्त नहीं होइ, कानूनक अनुसार अपराधी नै सिद्ध कें देल जाएत।

२. कोनो व्यक्ति कोनो एहन कृत्यअकृत्य कारण ओई दण्डनीय अपराधक अपराधी नै मानल जाएत, जेरापर तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय कानूनक अनुसार दण्डनीय अपराध नै मानल जाएत आर नई ओकरा अधिक भारी दण्ड देल जा सकत, ओई समय के सजाए देल जाइत जई समय ओ दण्डनीय अपराध कें देल छल।

© एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल ـــ ९३
धारा 12:
कोनो व्यक्तीको एकान्तता, परिवार, घर अथवा पत्र बेवहारक प्रति कोनो मनमाना हस्तक्षेप नै केएल जाएक, आर नै किनको सम्मान आर ख्यातीपर कोनो आक्षेप भसकेत अछ्छ। एहन हस्तक्षेप अथवा आक्षेप विरुद्ध प्रत्येकको कानूनी रक्षाको अधिकार प्राप्त अछ्छ।
धाॅरा 1३:

१. प्रत्येक व्यक्तिकेको प्रत्येक देशको सीमाक भित्तर स्वतन्त्रतापूर्वक आवजाही करको आर वसैक अधिकार अछ।

२. प्रत्येक व्यक्ति अपन अथवा आन कोनो देश छोडबाक आ अपन देश वापस एवाक अधिकार अछ।
धारा १४ :

१. उत्पीडनके वचारमे दोसर देशमे शरण लेबाक आर बसबाक अधिकार प्रत्येक व्यक्तीके अद्धि ।

२. अई अधिकारक लाभ एहन मामिलामे नै भेट जे गैरराजनीतिक अपराधस उठल वास्तविक अभियोग सभसं सम्बन्धित अद्धि, अथवा जे संयुक्त राष्ट्रक उद्देश्य आर सिद्धान्तक विरुद्ध काज थिक ।
धारा १५:

१. प्रत्येक व्यक्तीके कोनो राष्ट्रक-विशेष नागरीकताक अधिकार अङ्क ।

२. ककरो मनमानी ढंगसः अपन राष्ट्रक नागरीकतासँ वृङ्खल नै केल जाएत आर नई नागरीकताक परिवर्तन करैसँ मनाही केल जाएत ।
धारा १६ :

१. बालिग स्त्री पुरुषके विना कोनो जाति-पाति, राष्ट्रियता आर धर्मक रुकावटसँ आपसमे विखाइ करबाक एवं परिवार बसबाईक अधिकार आछि। अई लेल विखाइक विषयमे वैवाहिक जीवनमे, तथा विखाइ-विच्छेदक संदर्भमे दुनूकेस समान अधिकार आछि।

२. विखाइक उदेस्य रखेकोला स्त्री-पुरुषक स्वतन्त्र सहमतिपर विखाइ भसकैत छन्न।

३. परिवार समाजके स्वभाविक आर बुनियादी सामूहिक इकाई थिक एवं एकरा समाज एवं राज्यविक अधिकार आछि।
धारा १७:

१. प्रत्येक व्यक्तिके असगर एवं दोसराक संग मिलिक सम्पत्ति राखक अधिकार अछि।

२. किनको मनमानी ढंगसँ अपन सम्पत्तिःसँ बंचित नई कएल जाएत।
धारा ९८ :
प्रत्येक व्यक्तीके विचार, आस्था आर धर्मक आजादीक अधिकार अद्धि। अई अधिकारक अन्तर्गत अपन धर्म आ विश्वास बदलवाक और अस्वर अथवा दोहराक संग मिलिक, तथा सार्वजनिक रूपमे अथवा निजी तौरपर अपन धर्म आ विश्वासके शिक्षा , किया, उपासना, एवं व्यवहारक द्वारा प्रकट करवाक स्वतन्त्रता अद्धि।
धारा १९ :
हरेक व्यक्तिको अपन विचार व्यक्त करबाक स्वतन्त्रताक अधिकार अछ। अर्क अन्तर्गत बिना कोन हस्तक्षेपक कोन राय-विचार रखबाक और कोन माध्यमक तथा सीमाक परवाह नै कसक किनको सूचनाएँ एवं धारणाको अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान सम्प्रिलित अछ।
धारा २०:

१. प्रत्येक व्यक्तिके शान्तिपूर्ण सभा-वैसकी करबाक आ समिति बनेबाक स्वतन्त्राकCEPTION अधिकार अछ।

२. कोनो व्यक्तिके कोनो संस्थाके सदस्य बनेबाक हेतु मजबूर नै कएल जा सकैत अछ।
धारा २१:

१. हरेक व्यक्तिको अपन देशक शासनमें प्रत्क्षय रूपसँ अथवा स्वतन्त्र रूपसँ चुनल प्रतिनिधिक माध्यमसँ हिस्सा लेबाक अधिकार अछैँ।

२. प्रत्येक व्यक्तिको अपन देशक सार्वजनिक सेवामें प्रवेश एवम प्राप्त करबाक समान अधिकारी अछैँ।

३. सरकारको सत्ताको आधार जनताको इच्छा होयत। अई इच्छाको प्रकटक समय-समयपर एवं असली चुनाव माध्यमसँ होएत। ई चुनाव सार्वभौम आर समान मताधिकार द्वारा होएत आर गुप्त मतदान द्वारा अथवा कोनो आन समान स्वतन्त्र मतदान पद्धतिसँ कराएल जाएत।
धारा २२:

समाजके एक सदस्यक रूपमा प्रत्येक व्यक्तीके सामाजिक सुरक्षाक अधिकार अहिंस आर प्रत्येक व्यक्तीके अपन प्रत्यक्षिक आर स्वतन्त्र विकास तथा गौरवक लेल जे-राष्ट्रिय प्रयत्न अथवा अन्तराष्ट्रिय सहयोगक तथा प्रत्येक राज्यक सर्गठन एवं साधनक अनुकूल हुआ-अनिवार्यत: आवश्यक आर्थिक, सामाजिक आर सांस्कृतिक अधिकारक प्राप्ती हक अहिंस।
धारा 23:

1. प्रत्येक व्यक्तिकें काज करवाक, इच्छानुसार रोजगारक चुनाव, काजक उचित और सुविधाजनक परिस्थितिय प्राप्त करवाक एवं बेकारिसं संरक्षण पएबाक हक अछी।

2. हरेक व्यक्तिके समान कार्यक लें बिना कोने भेदभावक समान मजदूरी पएबाक अधिकार अछी।

3. हरेक व्यक्ति जे काज करैत छात्र, हुनका अधिकार छॉन्हि जे ओ ओतवा उचित और अनुकूल मजदूरी पावथिय, जइसं ओ अपन एवं अपना परिवारक जीविकाक सरंजम का सकथि, जे मानवीय गौरवक योग्य हुए तथा आवश्यकता भेलापर ओकर पूर्ति अन्य तरहक सामाजिक संरक्षणवाबा भक सकेए।

4. प्रत्येक व्यक्तिकें अपन हितक रक्षाहे तु श्रमजीवी संघ बनबैंक आर ओइमे भाग लेबाक अधिकार अछी।
धारा २४ :
प्रत्येक व्यक्ति के विश्राम एवं छुट्टी पर नाक अधिकारी आदेश। अहिंसा मध्य शास्त्र काम घंटाओं उचित हदबन्दी आर समय-समयपर मजदूरी सहित छुट्टी सम्मिलित आदेश।
धारा २५ :

१. प्रत्येक व्यक्ति ओहन जीवन-स्तर पएबाक अधिकारी अछि जे ओकर अपन एवं परिवारक स्वास्थ्य एवं कल्यानक हेतु पर्याप्त अछि। एहिक मध्य खेनाइ, कपडा-लत्ता, घर-ढावर, इलाज-संबंधी सुविधा आर आवश्यक सामाजिक सेवा सम्मिलित अछि।

सभकों बेकारी, बेमारी, अस्मर्थ, वैधघ्य, बुढापा एवं आन कोनो एहन परिस्थितीमे आजीविकाक साधन नै रहलापर जे ओकरा बुल्तासँ बाहर होइ, सुरक्षाक अधिकार अछि।

२. जच्चा आर बच्चाकेँ खास सहायता एवं सुविधाक हक अछि। प्रत्येक बच्चाकेँ चाहे ओ बच्चा विवाहित माइक कोखिक हुआए चाहे अविवाहित माइक, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होयत।
धारा २६:

१. प्रत्येक व्यक्तिकेको शिक्षाको अधिकार अभित्र हो शिक्षा कम-सँ-कम प्रारम्भिक आर बुनियादी अवस्थामा निदेश गन्तै जसका होएत। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होएत। टेक्निकल, यात्रिक आर रोजगार-संबंधी शिक्षा साधारण रूपसँ प्राप्त हाएत। उच्च शिक्षा सभैहार्द्य योग्यताका आधारमा समान रूपसँ उल्लम्ब आएका?

२. शिक्षाको उदेश्य हाएत मानव व्यक्तित्वको पूर्ण विकास एवं मानव अधिकार तथा बुनियादी स्वतंत्रताको साधन सम्मानका पुष्टि। शिक्षाद्वारा राष्ट्र, जाति अथवा धार्मिक समूहको बीच आपसी सदत्वाका, सहिष्णुता आर प्रेमको विकास होएत आर शान्ति बना को रखाए लेल संयुक्त राष्ट्रको प्रयासका आगू बढाउनो जाएत।

३. माए-वापको समस्ती पहिले ई अधिकार क्षेत्रका जो चुनाव को सक्षम जे अपना बच्चाको कोन तरहको शिक्षा देल जाए।

ः एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल
धारा २७:

१. प्रत्येक व्यक्तिकेको स्वतन्त्रपुर्वक समाजक सांस्कृतिक जीवनमें हिस्सा लेबाक, कलाक आनन्द लेबाक, तथा वैज्ञानिक उन्नति आर ओकर सुविधामें भाग लेबाक हक अछि।

२. प्रत्येक व्यक्तिकेको एहन वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक कृतिसँग उत्पन्न नैतिक आर आर्थिक हितक रक्षाक अधिकार अछि जेकर रचयिता ओ स्वंय हुआए।

© एमनेस्टी इन्टरनेस्नल नेपाल ______________________________ २९
धारा २५:

प्रत्येक व्यक्तिमा एहन सामाजिक आर अन्तर्राष्ट्रिय बेवस्था प्राप्तिक अधिकार अछौ जहाँमा अई घोषणामे उलिखित अधिकार आर स्वतन्त्रकेख पूर्णत्र प्राप्त कएल जा सकए।
धारा 29 :

1. प्रत्येक व्यक्तीके ओळ समाजके प्रति कर्तव्य अत्य महत्वपूर्ण होगा जिमे रहि का ओकर स्वतंत्र आर पूर्ण विकास संभव होइ।

2. प्रत्येक व्यक्तीके अपन अधिकार आर स्वतन्त्रताके उपयोग करैत दोसरके अधिकार आर स्वतन्त्रताके आदर आर समाज करण के अनिवार्यता अत्य महत्वपूर्ण तथा प्रजातन्त्रिक समाजके, सर्वजनिक सुविधा आर सर्वसाधारणके कल्याणके लेल जे उचित आवश्यकता होइ ताइके हासिल कर्मिक उद्देश्यसँग कानून निर्धारित सिमाके भितर रघुवाक अनिवार्यता अत्य महत्वपूर्ण।

3. इ समस्त अधिकारके एवं स्वतन्त्रक उपयोग कोने तरह संयुक्त राष्ट्रक सिद्धान्त एवं उद्देश्यके विरुद्ध ने केल जाेंग।
धारा ३०:
अई घोषणाअन्तर्गत उल्लिखित कोनो वातक ई अर्थ नै लागाएल जाए जइसँ ई प्रतीत हुआए जे कोनो राज्य, समूह अथवा व्यक्तीके कोनो ऐहन प्रयासमे संलगन हेवाक अथवा ऐहन काज करबाक अधिकार अछी, जकर उदेश्य एतए वाताएलगेल अधिकारक स्वतन्त्रतामे सँ कोनोकें विनाश करबाक हुआए।
संयुक्त राष्ट्रसद्धारा प्रतिपादित मानवाधिकारके विश्वव्यापी घोषणापत्र

एमेस्टी इन्टरनेशनल

ई एक एहन संस्था हिंदूक जे मानवाधिकारक विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज सभ्ये उपलेख भेल सभ मानवाधिकारसम्म उपभोग हरेक मानव के पावले, तेहन विश्वव निर्माणक परिध्वश्य (Vision) के संग कार्यरत अद्धि। एही परिध्वश्यके साकार करवाक लेल मानवाधिकारक उल्लंघन तथा ज्ञातीक नियन्त्रण एवं उन्मलनक लेल अध्ययन-अनुसंधान का अभियानसभ संचालन करव एक र प्रमुख उद्देश्य अद्धि।

- वेलायती वकील पीटर बेनेन्सनद्वारा २६ मई १९६९ सं संचालित अभियान
- सन् १९७७ के नोबेल शान्ति पुरस्कार तथा सन् १९७८ के संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार पुरस्कार संविष्ट
- मानवाधिकारक लेल काज करव वला निष्पक्ष आ प्रजातीन्त्रिक प्रक्रियासं संचालित एक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी अभियान
- साधारण व्यक्तिसभ्य संचालित असाधारण अभियान
- संसारभरि १५० सं अधिक देश तथा भारतमे ७० लाखसं बेसी सदस्य आ सहयोगदाता आबद्ध

एमेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल

एमेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल शाखाक स्थापना सन् १९६९ मे नूतन थपलियाद्वारा भेल छल आ एकर पहिल अध्यक्ष ॠषिकेश शाह छलाह। एमेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल संसारके कोनो जगहपर होवू वला मानवाधिकार उल्लंघन आ ज्ञातीक घटनामे अभियानसभ संचालन का अपन सदस्यसभ घरी संचालन करैत अद्धि। सम्प्रति एमेस्टी नेपालमे ५,००० सं बेसी सदस्यसं छल, जाहिममें ३,५०० सं बेसी युवा सदस्यसं छल। ई सदस्यसं ३८ जिललमे अवस्थित ७८ सं बेसी समूह भा ५४ टा युवा नेतवर्तमे आवद्ध छल।
की अहूँ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल नेपालक सदस्य बनस चाहैत छौँ?

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल मानवअधिकारक तथा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलक आदर्शकेँ लागि अह्नै ध्वस्त बना ले निर्धारित रकम अरु तरहक सदस्यतामुः कोनो एक चयन किस सदस्यता पाउँः भरि शुल्कहरू एम्नेस्टी नेपालक पतापर पठा सकै छौँ।

समर्थक सदस्यः संस्थाक विधान र उद्देश्यसङ्ग्रह पालनक करेइत संस्थाक अभियानमें सहयोग देखि चाहिनिहार मुः निर्णय प्रक्रियामें मताधिकार नाहि चाहिनिहार १६ वर्षसः उपरक कोनो व्यक्ति बिना कोनो भेदभाव ५००/- टका शुल्क दसकै एम्नेस्टी नेपालक समर्थक सदस्यता प्राप्त किस सकै अरूँ।

समूहात साधारण सदस्यः एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालमें आवद्ध समूह तथा निर्माणाधीन समूहक कार्यसमितिक निर्णयमौलाविक ५००/- टका शुल्क दसकै निर्धारित समूह तथा निर्माणाधीन समूह पदाधिकारीक सिफारिङ्गमें ओहि समूह तथा निर्माणाधीन समूहमें आवद्ध भस सदस्यता प्राप्त कनिहार सदस्यकेँ समूहात साधारण सदस्य कहल जाइत छै। एहन सदस्यसङ्ग्रहकेँ सम्बन्धित समूह आ सम्मानात्मक एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल निर्णय प्रक्रियामें मताधिकार प्राप्त रहेँः।

युव नेत्विक युवाकः संस्थाक विधान आउँदेश्यसङ्ग्रह पालनक कनिहार १४ सैः २५ वर्षधरक व्यक्ति २००/- टका शुल्क दस युव नेत्विक सदस्यता प्राप्त किस सकै छै। एहन सदस्यसङ्ग्रहकेँ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल निर्णय प्रक्रियामें मताधिकार प्राप्त रहेन।